प्रेस नोट
दिनांक 28.08.2026

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा नाबालिग से दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 332/2026 में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पतारसी–सुरागरसी की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए डुमरियाडीह–तरबगंज मार्ग, बालेश्वरनाथ मंदिर के सामने घेराबंदी कर अभियुक्त अनुभव तिवारी पुत्र शिव वरदान तिवारी, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

थाना वजीरगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली एक महिला द्वारा थाना वजीरगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 26.08.2026 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री निमंत्रण गयी थी। वादिनी के अनुसार, वहीं से विपक्षी द्वारा किशोरी को फोन कर बुलाया गया तथा उसके साथ दुराचार किया गया। तहरीर के आधार पर थाना वजीरगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें आज दिनांक 28.08.2026 को थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा वांछित चल रहे अभियुक्त अनुभव तिवारी पुत्र शिव वरदान को डुमरियाडीह–तरबगंज मार्ग, बालेश्वरनाथ मंदिर के सामने से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनुभव तिवारी पुत्र शिव वरदान तिवारी, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना तरबगंज, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–332/2026 धारा 65(1) बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना वजीरगंज, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार टीम–

01. प्रभारी निरीक्षक दिनेश सिंह, थाना वजीरगंज
02. का0 लालू प्रसाद वर्मा
03. का0 सत्येन्द्र यादव
04. म0का0 दिव्या दीक्षित
05. म0का0 पारुल सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा